न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 03/23 (226)
आरसीएमएस संख्या – 2023/80

उनवान

1. भगवान सिंह पुत्र सीताराम
2. रामरूप सिंह उर्फ रामस्वरूप पुत्र गैंदा
3. राम सिंह पुत्र गैंदा
4. हुक्म सिंह पुत्र गैंदा
5. रोशन पुत्र गैंदा
6. अनार सिंह पुत्र मंगल सिंह
7. कप्तान सिंह पुत्र मंगल सिंह
8. मुन्ना पुत्र मंगल सिंह
9. गूंदो पुत्री मंगल सिंह
10. उदय सिंह पुत्र कोक सिंह
11. रामदास पुत्र रामेश्वर
12. रामगोपाल पुत्र रामेश्वर
13. कमला पुत्री घूरेलाल
14. बनवारीलाल पुत्र घूरेलाल
15. सीताराम पुत्र रमुजी
16. हरिओम पुत्र रमुजी
17. राधेश्याम पुत्र रमुजी
18. रामनाथ पुत्र बदन सिंह
19. नहने पुत्र बदन सिंह
20. रामलाल पुत्र बदन सिंह
21. गंगाराम पुत्र बदन सिंह
22. रामखिलाडी पुत्र वासदेव
23. रामबाबू पुत्र वासदेव
24. गोलो पत्नी वासदेव
25. भगवानदास पुत्र भरत सिंह
26. रामदास पुत्र भरत सिंह
27. भूरनदेई पुत्री भरत सिंह
28. बिजन्दर पुत्र मूला
29. हाकिम पुत्र मूला
30. गोरे पुत्र मूला
31. रामअवतार पुत्र रामप्रसाद
32. राजवती पुत्री रामप्रसाद
33. सियाराम पुत्र श्रीपति

समस्त जातिगण कुशवाह निवासीगण गिरधर का पुरा गढी खिराना तहसील बाडी जिला धौलपुर।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील अधिकारी

FROM No. III

34. पप्पू पुत्र श्रीपति
35. निरंजन श्रीपति
} समस्त जातिगण कुशवाह निवासीगण गिरधर का पुरा गढी खिराना तहसील बाडी जिला धौलपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. बच्चू सिंह पुत्र भगवान सिंह
2. भगवानदास पुत्र ग्याजीत
3. राजवीर पुत्र धनपाल
4. आदिराम } पुत्रगण रामरूप
5. गज सिंह }
6. भूदेवी पत्नी रामरूप

} समस्त जातिगण कुशवाह निवासीगण भारे का पुरा तह0 बाडी जिला धौलपुर।

7. पप्पू
8. मान सिंह } पुत्र बुद्धीराम
9. लज्जाराम }

} समस्त जातिगण कुशवाह निवासीगण बुद्धी का पुरा तह0 बाडी जिला धौलपुर।

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडी जिला धौलपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय धौलपुर।

.....रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी दिनांक 17.05.23 प्रकरण संख्या 01/23 उनवान बच्चू सिंह बनाम भगवान सिंह।

उपस्थित :–

1. श्री सुरेन्द्र कुमार दुबे अभिभाषक अपीलाण्ट।
2. श्री योगेश शर्मा अभिभाषक रैस्पो0।

निर्णय **दिनांक :–24.01.2024**

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, बाडी के आदेश दिनांक 17.05.2023 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रैस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 1112/765, 1111/765, 764, 762, 718, 717, 1101/773, 1102/773, 707, 1087, 708 व 709 वाके ग्राम गढी पटवार हल्का अलीगढ तहसील बाडी जिला धौलपुर में होकर बाडी से टोंटरी जाने वाली सडक से ग्राम भारे का पुरा को जाने वाला रास्ता स्थित है, जो पैदल आने जाने का है। परन्तु वाहन आदि नहीं निकलते हैं। अतः अप्रार्थी अपीलाण्ट के खसरा नम्बर 764, 766, 767, 768, 1077/769, 1080/770 में होकर दोनों तरफ 15–15 फीट रास्ता कायम करने हेतु प्रार्थना की गयी। । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करते हुये, अप्रार्थी/अपीलाण्ट के उक्त खसरा नम्बरान में से रास्ता कायम कर दिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 व तहत पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तलवी कराये तहसीलदार से जॉच रिपोर्ट तलव कर ली एवं अग्रिम पेशी पर डीएलसी रिपोर्ट तलव कर ली एवं कोई निर्णय पारित किये जमा भी करवा ली। अपीलाण्ट को बिना सुनवाई के रास्ता कायम कर दिया। यह है कि प्रकरण में पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में वकालतनामा दिनांक 10.05.2023 को दिया जबकि प्रकरण में मौका रिपोर्ट व डीएलसी पूर्व में ही जमा करा ली। जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व से ही विवादित आराजी में से होकर रास्ता दिये जाने का मानस बना रखा था। रैस्पो0 ने प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है उसमें रास्ता दिखाया है जो चालू है। परन्तु वह रिकार्ड में नहीं है। इसके अलावा रैस्पो0 ने अपने प्रार्थना पत्र में कही भी यह अंकित नहीं किया कि उन्हें रास्ता कृषि प्रयोजनार्थ रास्ता चाहा गया है। पूर्व में विवादित खसरा नम्बरो में से रास्ता नहीं दिये जाने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से भी रैस्पो0 पाबन्द हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को भी दरकिनार कर दिया। यदि गॉव भूरे का पुरा हेतु रास्ता मॉगा गया है तो प्रार्थी के खेतो में से भी होना चाहिये था। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। रैस्पो0 ने अपने प्रार्थना पत्र में अपनी कृषि भूमि पर पहुॅचने के लिये रास्ता चाहा गया है साथ में ग्राम भारे का पुरा हेतु भी रास्ता की सुविधा हो जावेगी। मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। यह सही है कि स्थायी निषेधाज्ञा जारी है परन्तु रैस्पो0 ने रास्ते हेतु सभी प्रक्रिया कानूनन तथा कीमत अदा करते हुये की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षो को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजी डीएनजे (रेवेन्यू) 2023(1) पेज 813, 537, 415, आरआरटी 2022(2) पेज 1079 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

5. हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण की तलवी कराने से पूर्व ही तहसीलदार बाडी से जॉच रिपोर्ट तलव कर ली एवं तत्पश्चात् दिनांक 12.05.2023 को अप्रार्थीगण को बिना सुने अथवा जवाब का समय दिये राशि जमा करा ली। आदेशिका दिनांक 10.05.2023 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है। परन्तु उक्त आदेशिका में अप्रार्थी को जवाब का कोई समय नहीं दिया जाकर अंकित किया गया है कि "अप्रार्थी की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत हुआ डीएलसी रेट प्राप्त हो चुकी है। तहसीलदार बाडी को डीएलसी रेट से राशि जमा कराने हेतु पत्र जारी हो" हम यहॉ यह भी उल्लेख करना उचित समझते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने पेशी दिनांक 10.05.2023 को अग्रिम पेशी दिनांक 12.05.2023, पेशी दिनांक

भू प्रवन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

12.05.23 को 15.05.23 एवं 15.05.23 से 17.05.2023 मात्र दो–दो दिन की तारीख पेशी निर्धारित कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। मौका रिपोर्ट भी पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार नहीं की गयी हैं। अधीनस्थ न्यायालय की उपरोक्त सभी कार्यवाहीयॉ प्रक्रियात्मक एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की चूक को दर्शाती है। न्याय होना ही पर्याप्त नही, होते हुए दिखना भी चाहिए। अतः इस प्रकार के निर्णय स्वीकार्य नही हो सकता है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी का आदेश दिनांक 17.05.2023 अपास्त किये जाते हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये एवं प्रार्थना पत्र 251 ए में दिये गये प्रावधानुसार एवं पूर्व में जारी स्थाई निषेधाज्ञा को ध्यान में रखते हुये पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में वास्ते सुनवाई दिनांक 12.02.2024 को उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 24.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू प्रवन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

(मुनिदेव यादव)
भू प्रवन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर